



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Website www.uniraj.ac.in

क्रमांक:- 442-510

अति-आवश्यक
दिनांक:- 18.09.2024

परिपत्र

विषय :-सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित परिवादों के निस्तारण के लिए जवाब भिजवाये जाने बाबत।

राजस्थान सरकार द्वारा सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से आमजन की समस्याओं को दर्ज करके उनके त्वरित समाधान के लिए गंभीरता से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। सम्पर्क पोर्टल पर आमजन द्वारा जो परिवाद दर्ज करवाये जाते हैं उनका 15 दिवस में निस्तारण किया जाना होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाले परिवादों को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संबंधित शाखाओं एवं अधिकारियों को भिजवाकर उनका जवाब मांगा जाता है, परन्तु यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं शाखाओं द्वारा लम्बे समय तक सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज उनसे संबंधित परिवादों का जवाब नहीं भिजवाया जाता है अथवा गलत एवं आधी-अधूरी जानकारी भिजवा दी जाती है जिसको जयपुर कलक्टर महोदय द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं शाखाओं को आगाह किया जाता है कि सम्पर्क पोर्टल से संबंधित जो भी परिवाद लम्बित है उन सभी परिवादों का जवाब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 20.09.2024 तक आवश्यक रूप से भिजवायें अन्यथा संबंधित अधिकारियों एवं शाखाओं की जानकारी उनके पास लम्बित प्रकरणों सहित राज्य सरकार एवं जयपुर कलक्टर महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी।

(वासुदेव)

उपनिदेशक

आई.टी. सेल

एवं

नोडल अधिकारी

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल

दिनांक:- 18.09.2024

क्रमांक:- 446

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नीजि सचिव मा. कुलपति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. कुलसचिव महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- ✓ 4. निदेशक, इन्फोनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (विश्वविद्यालय की वेब साइट पर परिपत्र को अपलोड किये जाने हेतु)।
5. समस्त विभागाध्यक्ष शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. समस्त उप कुल सचिव/सहायक कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. मुख्य कुलानुशासक/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. विश्वविद्यालय अभियन्ता/प्रभारी उद्यान/प्रभारी अतिथि गृह, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. विधि परामर्शी/विधि सहायक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

(वासुदेव)

उपनिदेशक

आई.टी. सेल

एवं

नोडल अधिकारी

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल